

मानवाधकार खातरि संयुक्त राष्‍ट्र उच्‍चायुक्‍त सबह्‍कि लेल मानवाधकार मानवाधकार घोषणा के पच्‍चासवां वर्षगांठ

1948 . 1998

10 दसंबर, 1948 के संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा द्वारा अपनाएल गेल आओर घोषति मानवाधकार

प्राक्‍कथन

सबह्‍कि के ओकर उच्‍चति सम्‍मान आओर मानव परवारि के सभे आदमि के बराबरी के हक्‍क ही वश्‍व समुदाय के अजादी, न्‍याय आओर शांति के बुनयिद हवे।

मानवाधकार के उल्‍लंघन हरदम अमानवीय काज के कारणो होखेला जा के चलते मानवता के अंतःकरण दुःखी होखेला। एक आम आदमि के सबसे बड़ा इच्‍छा इहे होखेला कि इ दुनिया में ओके भाषण और वच्‍चारि के आजादी मलि साथ हंडरि आओर इच्‍छा से हो मुक्‍तमलि।

यदि केहु तानाशाही चाहे दमन के खलिफ अंतिम हथियारि के रूप में बगावत करे खातरि मजबूर ना होए, त ओकरा खातरि कानून के मार्फत ओकर मानवाधकारि के बचावे के इंतजाम होवे के चाही। इहो जरूरी हवे कि राष्‍ट्र सब के बीच दोस्‍ती बढ़ाएल जाए।

संयुक्‍त राष्‍ट्र के लोगनि आपन चार्टर में मौलिकि मानवाधकारि, मानव के सम्‍मान आओर उपयोगति तथा आदमि आओर औरत के बराबर अधकारि खातरि आपन वश्‍वास जतौलन हउ। साथह्‍ई लोगनि स्वतंत्रता के माहौल में सामाजिकि प्रगति तथा जीवन के स्‍तर के बढ़ावे के भी दृढ़ नश्‍चिच कएलन ह।

साथ ही सदस्य राष्‍ट्र सब संयुक्‍त राष्‍ट्र के मदद से मानवाधकारि आओर मौलिकि स्वतंत्रता खातरि लोगनि में मान बढ़ावे के भी संकल्‍प लेलन ह।

ओही खातरि ए संकल्‍प के पूरा करे के खतरि ई सब अधकारि आओर स्वतंत्रता के समझ सबसे जरूरी बा।

अब, एही खातरि महासभा ई ऐलान करता कि मानवाधकारि के ई घोषणा के सभे लोग आओर सभे राष्‍ट्र पालन करे। सभे ब्यक्‍ति आओर समाज के सब अंग हरदम इ घोषणा के आपन दमिाग में रखे। संयुक्‍त राष्‍ट्र के सदस्य राष्‍ट्र के लोगनि के बीच चाहे हुनी के अधकारि क्षेत्‍रा में रहे वाला लोगन के बीच प्रगतिशिली कदम या शक्‍षिा के जरएि इ अधकारि और स्वतंत्रता के प्रतिमान जगाएल जाए।

अनुच्‍छेद 1

सबह्‍ लोकांनि आजादे जम्‍मेला आओर ओखनिाि के बराबर सम्‍मान आओर अधकारि प्राप्‍त हवे। ओखनिाि के पास समझ-बूझ आओर अंतःकरण के आवाज होखता आओर हुनको के दोसरा के साथ भाईचारा के बेवहार करे के होखला।

अनुच्‍छेद 2

बनिा कोनो जाति, रंग, लंगि, भाषा, धर्म, राजनीतिकि आओर दोसर मान्यता, राष्‍ट्रीयता चाहे सामाजिकि मूल, धन-संपत्ति, जन्‍म वा दोसर स्थितिकि भेदभाव के सभे कोई घोषणा में लिखिल अधकारि आओर आजादी के हकदार होई।

एतवे ना कोनो देश मुल्‍कि या क्षेत्‍रा के राजनीतिकि न्‍यायिकि आओर अन्‍तर्राष्‍ट्रीय स्थितिकि आधार पर केहू के संग भेदभाव नइखे कएल जा सकेला। चाहे ओ कोनो स्वतंत्रा, टप्‍सुट चाहे स्वायत्‍राता के कौनो मानदंड के अंतर्गत आवे वाला संस्था के सदस्य हो।

अनुच्‍छेद 3

सबह्‍कि के जीवन जीए के आजादी आओर अपन सुरक्षा के अधकारि हवे।

अनुच्‍छेद 4

केहु के गुलाम बना के नइखे राखल जा सकेला। कौनो रूप में गुलामी आओर गुलाम सब के ब्यापार पर सख्त पाबंदी हवे।

अनुच्‍छेद 5

काहु के साथ धूर, अमानवीय चाहे धृणति बेवहार नइखे कईल जा सकेला। काहु के न तो सतावल जा सकेला आओर न सजा देल जा सकेला।

अनुच्‍छेद 6

कानून के सामने सबह्‍कि के सभे जगह एके आदमि के रूप में पहचाने जाए के अधकारि ह।

अनुच्‍छेद 7

कानून के सामने सभे बराबर हवे आओर कानून से बनिा कौनो भेदभाव के समान संरक्ष्‍ण प्राप्‍त करे के अधकारि मलिल हवे। साथह्‍ए घोषणा के उल्‍लंघन या भेदभाव होए की स्थिति में सबह्‍कि के समान संरक्ष्‍ण प्राप्‍त करे के अधकारि ह।

अनुच्‍छेद 8

संवधान या कानून से मलिल मौलिकि अधकारि के उल्‍लंघन भइला पर सबह्‍कि के कोनों योग्य राष्‍ट्रीय संगठन से क्ष्‍पतिप्रति प्राप्‍त करे के अधकारि बा।

अनुच्‍छेद 9

केहु के बनिा कोनो कारण के कैद, अज्ञातवास या देशनकिाला नइखे देल जा सकेला।

अनुच्‍छेद 10

केहु के खलिफ अपराधकि मामला होखे चाहे केकरो अधकारि और कर्तव्य के नश्‍धारण के सलिसलिा में कौनो स्वतंत्रा आओर नष्‍िपक्ष संगठन के सामने नष्‍िपक्ष सुनवाई खातरि समान अधकारि हवे ।

अनुच्‍छेद 11

कानून के नजर में जब तक ले केहु दोषी नइखे तब तक ले ओके नर्दिोष समझे के चाही। चाहे ओकरा के खलिफ कौनो अपराधकि मामला ही काहे ना चल रहल होए। इ सुनवाई के दरम्यान आपन बचाव के लेल ओकरा पूरा-पूरा हक्‍क भी मलिल बा।

कौनो राष्‍ट्रीय चाहे अंतर्राष्‍ट्रीय कानून के तहत अगर कौनो काम के दंडनीय अपराध नइखे मानल जा रहल होखे तब कोनो आदमि के ओ काम के खातरि दोषी नइखे कहल जा सकता।

अनुच्‍छेद 12

केकरो नीजि जीवन, परवारि, घर तथा पत्‍राचारि आदि में केकरो दखल करे के अधकारि नईखे ह। सबह्‍कि के ए तरह के दखल आओर हमला के वरिष्‍कानून से संरक्ष्‍ण प्राप्‍त करे के अधकारि ह।

अनुच्‍छेद 13

सभे लोगनि के आपन मुल्‍क के सीमा के अंदर घर आओर एक जगह से दोसर जगह जाए के अधकारि हउ।

सबह्‍कि के कौनो देश, एइजा तक कि आपन देश से हो छोड़े के आओर वापस आवे के अधकारि ह।

अनुच्‍छेद 14

प्रताड़ना से बच्‍के खातरि दोसर देश में संरक्ष्‍ण प्राप्‍त करे के अधकारि हवे।

लेकनि इ अधकारि के उपयोग बैसन प्रताड़ना में नइखे कईल जा सकेला जे गैर राजनीतिकि अपराध आओर संयुक्‍त राष्‍ट्र के उष्‍थ्य आओर सध्‍ति के खलिफ कईल गेल काज खातरि मलि रहल होखे।

अनुच्‍छेद 15

सबह्‍कि के राष्‍ट्रीयता के अधकारि हवे।

केहु के राष्‍ट्रीयता से वंचति नइखे कई जा सकेला आओर ना ही राष्‍ट्रीयता बदले के स्थिति में अधकारिो से बेदखल कईल जा सकेला।

अनुच्‍छेद 16

जाति, राष्‍ट्रीयता आओर धर्म के बंधन से मुक्‍त कौनो बालगि आदमि आओर औरत के बयिाह आओर गृहस्थी बसावे के अधकारि हवे। दुनू के बयिाह के समय, गृहस्थ जीवन के दरम्यान आओर बयिाह टूट जाए के बादो बराबरी के अधकिरि ह।

बयिाह दुनू के मर्जी आओर सहमति से ही होए के चाही।

परवारि समाज के एगो प्राक्‍तकि और मौलिकि इकाई ह। आओर ओके समाज और मुल्‍क से पूरा संरक्ष्‍ण प्राप्‍त करे के अधकारि हवे।

अनुच्‍छेद 17

केहु अकेले चाहे केकरो संगे मलि के संपत्ति अर्जति कर सकता।

केहू के ओकर संपत्ति से बेदखल नइखे कईल जा सकत ह।

अनुच्छेद 18

सब लोगन के सोचे के आओर कौनो धर्म अपनावे के अधिकार हवे तथा ओ आपन धर्म और मान्यता में भी बदलाव ला सकेला। संगे ओ अकेले आओर समूह में कौनो सार्वजनिक या नीज जगह पर आपन धर्म या विश्वास के पालन, प्रवचन आओर पूजा-पाठ के जरिए कर सकेला।

अनुच्छेद 19

सबहू के बचिर आओर अभिवक्ति के अधिकार हवे। आओर ओकर ई बचिर में कौनो दखल ना हो सकत, संगे ओ संचार के कौनो साधन के जरिए कहीं से कौनो सूचना आओर बचिर प्राप्त कर सकेला।

अनुच्छेद 20

सबहू के शांतिपूर्ण तरीका से जमा होवे के तथा कोनो संगठन में शामिल होए के अधिकारी ह।

तथा केहू के कौनो संगठन में ज़बदस्ती शामिल नइखे कराएल जा सकेला।

अनुच्छेद 21

सब लोगन के सरकार में हिस्सा लेवे के अधिकार हवे न त सीधे-सीधे न त आपन मर्जी से चुनल प्रतिनिधि के माफ़त आपन देश के जन सेवा के उपयोग करे के अधिकार हवे।

आम लोगन के इच्छा ही सरकार के ताकत के आधार होखेला आओर इ जब-तब होए वाला स्वतंत्रता आओर नृपिपक्ष चुनाव के जरिए, जेकर आयोजन गुप्त मतदान या फेर स्वतंत्रता प्रघटि में होखता।

[missing?]

अनुच्छेद 22

समाज के हरेक आदमी के सामाजिक सुरक्षा के अधिकार हवे। साथहि देश के आर्थिक, सामाजिक आओर सांस्कृतिक अधिकार के उपयोग करे के अधिकार ह, जे ओकर व्यक्ति के उपयोग राष्ट्रीय प्रयास आओर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से ही संभव हो सकेला जे ओ राष्ट्र के संसाधन आओर संगठन पर निर्भर करता।

अनुच्छेद 23

सबहू के काम करे के तथा रोजगार चुने के अधिकारो बा और विरोजगारी से ओकर सुरक्षा के गारंटी ओ होखे के चाही। इ न्यायसंगत तथा सुव्यवधानक परिस्थितियों में काम करे के अधिकार बा।

बना कौनो भेदभाव के समान काज के लेल समान पैसा के अधिकार ह।

सबे जे काम करता ओकरा आपन तथा परिवार खातिर एगो न्यायसंगत आओर उचित पैसा पावे के अधिकार ह जेकरा से घू सम्मानजनक ज़िंदगी बसर क सके। एकर अलावे सामाजिक संरक्षण के ओ साधन के उपयोग के ओ अधिकार बा जे ओकर कमाई बढ़ा सके।

एकरा सिवा आपन हित के सुरक्षा के खातिर मजदूर संगठन बनावे अथवा मजदूर संगठन में शामिल होखे के अधिकार बा।

अनुच्छेद 24

सबकरा के आराम तथा छुट्टी मनावे के अधिकार बा तथा काज करे के समय के सेहो एक उचित सीमा बा तथा समय-समय पर वेतन सहित छुट्टी के उपभोग करे के अधिकारो बा।

अनुच्छेद 25

सबहू के आपन तथा आपन परिवार के स्वास्थ्य आओर कुशलता खातिर एक उचित स्तर पर जीवन-यापन के ठीक-ठीक इंतजाम होखे के चाही। बढ़िया जीवन-स्तर होखे खातिर ओकन के भोजन, कपड़ा, घर, उचित इलाज आओर आवश्यक सामाजिक सेवा ओ शामिल ह।

एकरा अलावे बेरोजगारी, बमिारी, अपंगता, वैधव्य, बुढ़ारी एवं ऐसन हालत जे पर ओकर नियंत्रण नइखे, ओ से ओकरा सुरक्षा पावे के अधिकार ह। औरत और बच्चा के अलगे सुविधा आओर सहायता पावे के अधिकार बा। सबहू बिचूचन के चाहे ओकर जन्म कानूनी बियाह के अन्तर्गत भईल हो चाहे बनिा बियाह के, समाजिक सुरक्षा मलि के चाही।

अनुच्छेद 26

सबे के शिक्षा प्राप्त करे के अधिकार बा, कम से कम प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा तब मुफ्त होखे के चाही। तकनीकी आओर व्यवसायिक शिक्षा सबहू के मलि तथा योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षा पर सबे के अधिकार ह।

शिक्षा आदमी के व्यक्तिगत विकास में सहायक होखे के चाही तथा ऐसन होखे के चाही जे लोगन के मन में मानवाधिकार आओर बुनियादी स्वतंत्रता के प्रतिमान के भावना के मजबूत करे। शिक्षा सबे देश, जाति आओर धार्मिक समूह के बीच आपसी समझ-बूझ, सहनशीलता तथा भाइचारा और शांति के स्थापना खातिर संयुक्त राष्ट्र के गतिविधियों के बढ़ावे में भी सहायक होखे।

माई-बाप लोगन के आपन बच्चा खातिर सही शिक्षा चुने के अधिकार ह। अधिकार ह।

अनुच्छेद 27

सबहू के आपन समाज के सांस्कृतिक कार्य में हिस्सा लेवे के तथा कला के आनंद उठावे के अधिकार बा संगे वैज्ञानिक प्रगति में भगीदार बने तथा फायदा उठावे के अधिकार बा।

सबहू लोकन के आपन वैज्ञानिक, साहित्यिक आओर कलात्मक कृति जे घुलखिले बा, के नैतिक आओर भैतिक हित के संरक्षण के अधिकार बा।

अनुच्छेद 28

सबहू के इ घोषणा में निर्धारित अधिकार आओर आजादी के सामाजिक आओर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पावे के अधिकार बा।

अनुच्छेद 29

सबे के आपन समुदाय के प्रतिबद्ध ह। जेकरा पूरा करे के बाद ही ओकर स्वतंत्रता और संपूर्ण विकास संभव हवे।

आपन अधिकार आओर आजादी के उपयोग कानून के सीमा के भीतर ही होखे के चाही ताकि हम दोसर के अधिकार और आजादी के भी उचित आदर कर सकी।

एहि से एगो लोकतांत्रिक समाज में नैतिक, कानून और व्यवस्था और जन कल्याण के जरूरत के हम पूरा कर सकेलीं।

अनुच्छेद 30

ई घोषणा में लिखल कौनो अनुच्छेद के मतलब इ ना ह कि कौनो राज्य, समूह चाहे व्यक्ति कौनो ऐसन काज में शामिल होखे चाहे कौनो ऐसन काम करे, जेकरा से ए में लिखल अधिकार और स्वतंत्रता नष्ट होखे।